

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर, 2020

विषय- राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-2020 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित: निम्नलिखित -

- (1) शासनादेश संख्या-7/2019/वे0आ0-1-916/दस-2019-36(एम)/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यवस्था विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/ई-111(ए)

दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-2019 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 द्वारा वर्ष 2019-2020 के लिए 30 दिन की परिलिंग्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के क्रम में श्री राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47600-151100) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रु0 4800/- ) तक है, को वर्ष 2019-2020 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलिंग्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [http://shasanadeश.up.gov.in](http://shasanade�.up.gov.in) से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47600-151100) तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रु0 4800/-) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाय भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।
- (2) तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रु0 7000/- होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
- (3) दिनांक 31 मार्च, 2020 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रु0 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रु0 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2020 को 30 दिन की परिलब्धियाँ ( $\text{रु0 } 7000 \times 30/30.4 = 6907.89$ ) अर्थात् 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी।
- (4) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2020 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
- (5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2019-2020 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।
- (6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
- (7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णकिंत किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णकिंत किया जायेगा।

- 4- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 06 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 2020 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन (05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2020 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) 03 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन (05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये तदर्थ बोनस के आगणन हेतु मासिक परिलब्धियाँ अधिकतम रु0 1200/- प्रतिमाह मानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु0 1200x30/30.4=1184.21 अर्थात् 1184/- पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रु0 1200/- प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5- सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमत्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमत्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2020 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमत्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6- बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के उसी लेखा शीषिक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीया,  
एस0राधा चौहान  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3 /2020/वे0आ0-1-715(1)/दस-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
- (4) विरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001.
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) महानिवन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर विकास अनुभाग-1/3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-1/3, आवास अनुभाग-2 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [http://shasanadeश.up.gov.in](http://shasanade�.up.gov.in) से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 तथा 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (11) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
- (12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0 (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।
- (14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (15) प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- (16) महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,  
सरयू प्रसाद मिश्र  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।